कार्यालय उप संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला शिवपुरी म0प्र0

क्रमांक/टी–3/मु.म.वि.अ.या/विज्ञप्ति/2018–19/ शिवपुरी, दिनांक

//विज्ञप्ति//

एतद द्वारा सर्व साधारण जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा हेतु जिला शिवपुरी के इच्छुक प्रगतिशील कृषक कृषि/पशुपालन/उद्यानिकी/मत्स्य/रेशम आदि गतिविधियों के लघु/सीमांत, सामान्य वर्ग के अन्य कृषक, अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति के कृषकों से दिनांक 22.05.2018 तक आवेदन कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला शिवपुरी में आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम व शर्तें एन.आई.सी. शिवपुरी की वेबसाईट www.shivpuri.nic.in **से** डाउनलोड कर या कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला शिवपुरी तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड शिवपुरी/पोहरी/नरवर/कोलारस/बदरवास/करैरा/पिछोर/खनियाधाना से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला शिवपुरी म0प्र0

\\DESKTOP-15E4BU5\S.Sharma.Sir\Letter 2016.docx

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख

1 पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र ।

2 पासपोर्ट ।

3 फोटोग्राफ (35X45 mm डार्क शर्ट, सफेद बैकग्राउंड, 80 प्रतिशत चेहरे के साथ (10 फोटो) मेट फिनिशिंग पेपर पर)

4 तीन वर्ष का आयकर रिटर्न एवं कृषक ऋण पुस्तिका का भाग 1 एवं 2 की प्रमाणित छायाप्रति ।

5 खसरा पंचशाला (बी-1) की तथा खतौनी की प्रमाणित छायाप्रति ।

6 6 माह का बैंक एकाउंट स्टेटमेंट (A-4 पेपर पर सील एवं हस्ताक्षरयुक्त) ।

7 पेनकार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति ।

किसान विदेश अध्ययन यात्रा के लिये किये जाने वाले व्यय पर लघु एवं सीमांत कृषको को 90 प्रतिशत अनुदान , सामान्य वर्ग के अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी ।

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला शिवपुरी म0प्र0

D:\Press Not-14\2018.docx